

	तक)	
f	एच०वी०-२ (132 के०वी० से अधिक)	0.73
g	एच०वी०-३ (132 के०वी० पर तथा अधिक)	2.17
h	एच०वी०-३ (सेट्रो ट्रैक्शन के लिये)	1.79
i	एच०वी०-४ (आपूर्ति 11 के०वी० पर)	1.73
j	एच०वी०-४ (आपूर्ति 11 के०वी० से अधिक 66 के०वी० तक)	1.85

लाइसेन्सी द्वारा मा० आयोग से उ०प्र० शासन के पत्रांक 445/24-1-21/731(बजट)/2020 दिनांक 05.03.2021 के आधार पर वर्ष 2020-21 के टू-अप एवं वर्ष 2022-23 की ए०आर०आर० को अनुमोदित करते समय पूर्व डिसएलॉौन्स के विरुद्ध उचित समायोजन करने का अनुरोध किया गया है। मा० आयोग से सरलीकृत उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब के प्रस्ताव के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण करने तथा उ०प्र० शासन द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब हेतु सूचित की जाने वाली शासकीय सहायिकी को पृथक रूप से अंकित करने का अनुरोध किया गया है। शासकीय सहायिकी रहित रेट-शिड्यूल प्रस्ताव हेतु विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के मध्य क्रास सब्सिडी की आवश्यकता है तथा मा० आयोग द्वारा क्रास सब्सिडी का रोड-मैप अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है। मा० आयोग से प्रस्तावित ग्रीन टैरिफ के अनुमोदन का भी अनुरोध किया गया है।

टू-अप, ए०पी०आर० एवं ए०आर०आर० याचिका, आयोग द्वारा प्रेषित डिफिसियेन्सी नोट के प्रत्युत्तर एवं कार्यवृत दिनांक 18.04.2022 के साथ, निगम की वेबसाइट (www.puvvnl.up.nic.in) पर उपलब्ध हैं। समस्त स्टेक-होल्डर, आम जनता तथा सभी उपभोक्ता समय-समय पर लाइसेन्सी द्वारा प्रेषित अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञप्तिधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज़.ड शपथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियों प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम पूर्वांचल विद्युत भवन, विद्युत नगर, डी०एल०डब्लू०, वाराणसी-221004 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०

राष्ट्रहित में बिजली बचायें